भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
भूमि एवं विकास कार्यालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली

सं. 24(276)/2012-सीडीएन/ दिनांकितः 22/8/2012

कार्यालय आदेश सं. 4/2012

विषयः- सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थानों द्वारा भूमि और विकास कार्यालय और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि की उप-किराएदारी पर देने की नीति में संशोधन-संबंधित अनुदेश।

****

दिनांक 17.01.2008 के कार्यालय आदेश सं. 24(276)/99-सीडीएन/16 में निम्नलिखित संशोधन किया जा रहा है और यह उन सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थानों के मामले में लागू होगा जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 के तहत छूट दी गई है:-

1. आयकर अधिनियम, 1961 के तहत छूट प्राप्त किसी भी संस्थान को कुल निर्मित स्थान का 50% तक उप-किराएदारी पर देने की अनुमति होगी।

2. अनुमत उप-किराएदारी के ऐसे सभी मामलों में, जैसा उपरोक्त प्वाइंट 1 में दिया गया है, किराया विलेख के आधार पर पट्टेदार/संस्था द्वारा प्राप्त किराए का 10% पट्टेदार/भू-स्वामी एजेंसी को देना होगा।

3. दुकान, रेस्तरां, शोरूम चलाने के लिए अथवा कोई ऐसी औद्योगिक या विनिर्माण गतिविधि में शामिल किसी संगठन के लिए उपकिराएदारी की अनुमति नहीं दी जाएगी जिससे उस क्षेत्र में किसी भी तरह से शोर या प्रदूषण या वातावरण में व्यवधान उत्पन्न होता है।

4. आवंटी संस्था को निम्नलिखित के लिए, इन दिशा-निर्देशों के जारी किए जाने की तारीख/अथवा पूर्व किराया करार के पूरा होने की तारीख, जो भी पहले हो, से दो वर्ष की अवधि मिलेगीः-

(i) अनुमत किराएदार/संगठन को निर्मित क्षेत्र के 50% से अधिक क्षेत्र से हटाना।

(ii) गैर-अनुमत किराएदार/संगठन को पूरे क्षेत्र से हटाना।

(iii) पट्टेदार/भू-स्वामी एजेंसी के पास परिशोधित नीति के अनुसार, उप-किराएदारी के लिए पूर्व अनुमति हेतु आवेदन करना।

5. यदि इन दिशा-निर्देशों के जारी किए जाने की तारीख से दो वर्ष के भीतर उप-किराएदारी को 50% अनुमत सीमा के भीतर नहीं लाया जाता, पट्टेदार/भू-स्वामी एजेंसी अन्य बातों के साथ-साथ आवंटन की मंसूखी सहित ऐसी कोई भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, जो यह उचित समझता/समझती है।

6. दिनांक 17.01.2008 के आदेश सं. 24(276)/99-सीडीएन/16 के अन्य सभी प्रावधान लागू रहेंगे।

7. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(महमूद अहमद)
भूमि एवं विकास अधिकारी

प्रतिलिपिः

1. माननीय शहरी विकास मंत्री के निजी सचिव
2. माननीय राज्यमंत्री (शहरी विकास) के निजी सचिव
3. सचिव, शहरी विकास के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
4. अपर सचिव, शहरी विकास के निजी सचिव
5. उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आईएनए, नई दिल्ली
6. संयुक्त सचिव (एल एंड डब्ल्यू), शहरी विकास के निजी सचिव